न्यायालयः अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश(एस 0 सी0 एस 0 टी0 एक्ट), बागपत।

उपस्थितः शबिस्ताॅ आकिल, (उच्चतर न्यायिक सेवा) - UP06283

UPBG010010002026

अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 352/2026

1. दीपक मान पुत्र तेजपाल उम्र करीब 34 वर्ष, निवासी ग्राम ख्वाजा नंगला, थाना छपरौली, जिला बागपत। .....अभियुक्त।

बनाम

राज्य .....अभियोजक।

दिनांकः 06.03.2026

प्रार्थी/अभियुक्त **दीपक मान** की ओर से मु०अ०सं० 112/2018, थाना छपरौली, जिला बागपत में अन्तर्गत धारा 66B, 66E सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधन) अधिनियम 2008 व धारा 4, 10 परीक्षा अधिनियम 1982 व धारा 505 भा०दं०सं० में उसको अग्रिम जमानत प्रदान किये जाने हेतु धारा 482 बी०एन०एस०एस० के अन्तर्गत यह प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र अपने अधिवक्ता के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से अपने शपथपत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि उक्त मुकदमें के संबंध में यह प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई अग्रिम जमानत का प्रार्थना पत्र माननीय उच्च न्यायालय अथवा किसी अन्य न्यायालय में विचाराधीन नहीं है।

अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 04-03-2018 को समय 19:15 बजे वादी मुकदमा प्रवीण कुमार मिश्रा, जिला विद्यालय निरीक्षक, बागपत द्वारा संबंधित थाना छपरौली पर एक तहरीर इस आशय की प्रस्तुत की गयी कि सुकर्मपाल सिंह तोमर, निलम्बित प्रधानाचार्य, आदर्श वैदिक विद्यालय इण्टर कालिज, नंगला सिनौली बागपत द्वारा गत वर्ष में की गयी अनियमिताओं के दृष्टिगत इनके विरुद्ध परीक्षा अधिनियम के मुकदमा संख्या - 138/2017 की धारा 4/10 तथा इन पर मुकदमा संख्या 0168 में अधिनियम 1860 के अन्तर्गत धारा 468, 469, 471 व 420 लगायी गयी थी। उक्त दोनो प्रकरण अद्यतन जिला न्यायालय, बागपत में विचाराधीन है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा गत वर्ष में श्री सुकर्मपाल सिंह तोमर के कृत्यो को दृष्टिगत रखते हुए अधोहस्ताक्षरी कार्यालय के पत्रांक परीक्षा 2017/240-43/2017-18 दिनांक 15.04.2017 के द्वारा भी इण्टरमीडिएट परीक्षा वर्ष 2017 से सम्बन्धित अंग्रेजी प्रथम प्रश्नपत्र के जनपद में आउट होने सम्बन्धी सूचना का संज्ञान लेकर तत्कालीन जिलाधिकारी को सम्बोधित व पुलिस अधीक्षक, बागपत एवं अन्य उच्चाधिकारियों को पृष्ठांकित पत्र में सम्बन्धित प्रकरण की जॉच साइबर सेल से कराने हेतु अनुरोध किया गया था। उक्त के अतिरिक्त इस कार्यालय के पत्रांक परीक्षा-2017/283-84/2017-18 दिनांक 18-04-2017 के द्वारा तत्कालीन जिलाधिकारी एवं तत्कालीन पुलिस अधीक्षक, बागपत को पत्र प्रेषित करते हुए श्री सुकर्मपाल सिहं तोमर के मोबाइल नम्बर को सर्विलांस पर लगवाने एवं उनके पिछले 15 दिन की काल डिटेल निकलवाने हेतु अनुरोध किया गया था, जिससे यह पता लगाया जा सकता था कि श्री सुकर्मपाल सिंह तोमर के पास प्रश्न-पत्र व्हाटसएप के माध्यम से कहां से मंगवाया जाता था । संस्था प्रबन्धक, आदर्श वैदिक विद्यालय इण्टर कालिज, नंगला सिनौली द्वारा प्राप्त कराये गये निलम्बन पर गम्भीर आरोपो को दृष्टिगत रखते हुए अधोहस्ताक्षरी द्वारा निलम्बन आदेश अनुमोदित किया गया था, जिसके क्रम में इनके द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में अपील दायर करते हुए निवेदन किया था कि जिला विद्यालय निरीक्षक, बागपत के अतिरिक्त अन्य किसी जिला विद्यालय निरीक्षक से सम्बन्धित प्रकरण की सुनवाई करायी जाये। जिसके क्रम में माननीय न्यायालय द्वारा सुनवाई हेतु जिला विद्यालय निरीक्षक, मेरठ को नामित किया गया। जिला विद्यालय निरीक्षक, मेरठ द्वारा भी अधोहस्ताक्षरी की जाँच को विधिसम्मत मानते हुए निर्णय दिया गया। दिनांक 27-02-2018 को द्वितीय पाली में इण्टरमीडिएट अंग्रेजी द्वितीय प्रश्न-पत्र, विषय कोड-175/2 (संकेतांक 615) की परीक्षा संचालित हो रही थी। परीक्षा के दौरान अधोहस्ताक्षरी के व्हाटसएप नम्बर 9411681427 पर संयुक्त शिक्षा निदेशक मेरठ, मण्डल मेरठ द्वारा अपने व्हाटसएप न०-9415045800 से इण्टर अग्रेजी द्वितीय प्रश्न-पत्र वायरल होने सम्बन्धी सूचना से अवगत कराया तथा मुदित एवं हस्तलिखित पृष्ठ व्हाटसएप पर प्रेषित किये।

Digitally signed by Shabistan Aquil
Date: 2026.03.07 10:55:51 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

उक्त घटना दोपहर 02.13 बजे की है, साथ ही संयुक्त शिक्षा निदेशक महोदय द्वारा दूरभाष पर अधोहस्ताक्षरी को यह भी अवगत कराया कि यह सामग्री श्री सुकर्मपपाल सिहं तोमर, निलम्बित प्रधानाचार्य, आदर्श वैदिक तथा विद्यालय इण्टर कालिज, नंगला सिनौली, बागपत द्वारा उन्हें उपलब्ध करायी गयी है। जिस समय संयुक्त शिक्षा निदेशक द्वारा अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराया गया उस समय अधोहस्ताक्षरी अपने सचल दल के साथ परीक्षा केन्द्र बृहत समाज सुधार इण्टर कालिज, छपरौली में उपस्थित था। यह एक गम्भीर मामला है, इसमें किसी गिरोह की साजिश हो सकती है। श्री सुकर्मपाल सिहं तोमर की मिलीभगत है, वरना इनके मोबाइल पर गत वर्ष की भांति प्रश्न -पत्र के हस्तलिखित मुद्रित पृष्ठ प्राप्त हुए है। सम्बन्धित प्रकरण से जिलाधिकारी को अवगत कराने एवं प्रकरण की प्रशासनिक जाँच कराने हेतु अधोहस्ताक्षरी ने अपने अधीनस्थ कर्मचारी श्री योगेन्द्र सिंह, वरिष्ठ सहायक/परीक्षा प्रभारी को टीप तैयार कर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया, जिसके क्रम में श्री योगेन्द्र सिंह, वरिष्ठ सहायक परीक्षा प्रभारी द्वारा अधोहस्ताक्षरी के समक्ष टीप दिनांक 27-02-2018 प्रस्तुत की गयी है। उक्त के क्रम में अधोहस्ताक्षरी द्वारा जिलाधिकारी, बागपत से सम्बन्धित प्रकरण की जाँच कराने हेतु यथावश्यक कार्यवाही करने हेतु अनुरोध किया गया। अधोहस्ताक्षरी के अनुरोध पर जिलाधिकारी, बागपत द्वारा सम्बन्धित प्रकरण की जाँच हेतु अपने कार्यालय के पत्रांक परीक्षा-2018/9606-10/2017-18 दिनांक 27-02-2018 के द्वारा तीन सदस्यों की टीम गठित की गयी। श्री सुकर्मपाल सिंह तोमर द्वारा निरन्तर समाचार पत्रों में भी झूठी खबरे प्रकाशित कराकर इस प्रकार का दुष्प्रचार किया जा रहा है। श्री सुकर्मपाल सिंह तोमर को प्रश्न-पत्र व्हाटसएप पर कहां से प्राप्त हुआ है। यह तो स्वंय सुकर्मपाल सिंह तोमर ही बता सकते हैं। यह परिषदीय परीक्षा की सुचिता को भंग करने का गम्भीर मामला है। यह भी अवगत कराना है कि एक ही कोड के प्रश्न-पत्र कई जनपदों में होते हैं तो इनके द्वारा बागपत जनपद को ही प्रश्न -पत्र लीक के मामले में टारगेट क्यों किया गया है ऐसा प्रतीत होता है कि श्री तोमर प्रश्न -पत्र लीक के धन्धे में लिप्त है। ऐसा प्रतीत होता है कि इनके द्वारा पुनः संगठित गिरोह के साथ मिलकर इस कृत्य को अंजाम दिया है और श्री तोमर अधोहस्ताक्षरी से ईर्ष्यावश/ द्वेषभावना से यह कार्य कर रह रहे है। उक्त के सम्बन्ध में यह भी अवगत कराना उचित होगा कि इस कार्यालय के पत्रांक परीक्षा-2018/9338-42/2017-18 दिनांक 20.02.2018 एवं पत्रांक परीक्षा-2018/9360-65/2017-18 दिनांक 21-02-2018 के द्वारा सुकर्मपाल सिंह तोमर, स्थाई पता सैक्टर-3 सुशान्त सिटी वेदव्यासपुरी, एन.एच.-55 मेरठ के मोबाईल नम्बर 7983400342 9012011512 को सर्विलांस पर लगवाने तथा उनके पास अपने व्हाटसएप्प नम्बर पर प्रश्न पत्र कहां से मंगवाया जाता है इस जाँच हेतु पुलिस अधीक्षक, बागपत को पूर्व में भी पत्र प्रेषित किये गये हैं। जिलाधिकारी, बागपत के पत्रांक 9542/परीक्षा-2018 दिनांक 26 फरवरी 2018 के द्वारा दिनाक 17-02-2018 को दैनिक जागरण के प्रष्ठ संख्या 7 (युवा जागरण) पर मेरठ से प्रकाशित खबर परीक्षा से 879 परीक्षार्थी रहे नदारद एवं दिनाक 21-02-2018 को दैनिक जागरण के पृष्ठ संख्या 7 पर मेरठ से प्रकाशित खबर इण्टर का पेपर आउट होने का हल्ला विषयक का संज्ञान लेकर श्री सुकर्मपाल सिंह तोमर, निलम्बित प्रधानाचार्य, आदर्श वैदिक विद्यालय इण्टर कॉलिज, नंगला सिनौली बागपत स्थाई पता सैक्टर-3 सुशान्त सिटी वेदव्यासपुरी, एन.एच.-55 मेरठ द्वारा अपने व्हाटसएप पर प्रश्न-पत्र कहां से मंगवाया जाता है तथा पूरे प्रकरण की जाँच कराते हुऐ तत्काल इनके मोबाईल नंम्बर 7983400342, 9012011512 को सर्विलास पर लगाने हेतु नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही करने हेतु पुलिस अधीक्षक को पत्र प्रेषित किया गया था। अतः उक्त के सम्बन्ध में श्री सुकर्मपाल सिंह तोमर व अन्य के विरूद्ध सूचना तकनीक अधिनियम व अन्य सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत मुकदमा दर्ज करने का कष्ट करें। जिससे प्रकरण का निस्तारण हो सके व भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति पर रोक लगायी जा सके।

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया कि प्रार्थी/अभियुक्त कतई निर्दोष व्यक्ति है उसके द्वारा आरोपित अपराध नहीं किया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट पांच दिन विलम्ब से दर्ज करायी गयी है जिसका कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। उसके द्वारा धारा 66B व 66E आई०टी० एक्ट के अन्तर्गत कोई अपराध कारित नहीं किया गया है। उसके द्वारा कोई पेपर आउट नहीं किया गया है और न ही किसी प्रकार से कोई अवैध लाभ अर्जित किया गया है। तथाकथित घटना का कोई चश्मदीद स्वतंत्र जनसाक्षी किसी प्रकार का नहीं है। यह भी तर्क दिया गया है कि जिस अंग्रेजी के प्रश्नपत्र को आउट करना कहा है वह परिवाद पत्र के साथ संलग्न है, न ही उसकी कोई प्रति पत्रावली पर उपलब्ध है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त को अग्रिम जमानत प्रदान किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

अभियोजन पक्ष की ओर से जमानत का विरोध करते हुए यह कथन किया गया है कि अभियुक्त द्वारा अन्य सहअभियुक्त के साथ मिलकर वर्ष 2018 में इंटरमीडिएट यू०पी०बोर्ड परीक्षा का अंग्रेजी विषय का प्रश्न पत्र लीक करके दुष्प्रचार किया गया तथा परीक्षा की गोपनीयता को भंग किया गया था एवं परीक्षा की सुचिता को भंग करने का गम्भीर अपराध किया गया है। उसका नाम दौरान विवेचना प्रकाश में आया है। अभियुक्त द्वारा अपने मोबाईल नम्बर 7983697620 से सहअभियुक्त सुक्रमपाल तोमर के मोबाईल नम्बर 9412011512 पर प्रश्नपत्र भेजा गया है। वर्तमान में यू०पी०बोर्ड व सी०बी०एस०सी० बोर्ड की परीक्षाएँ चल रही है अभियुक्त के जमानत पर रहने से उसके द्वारा पुनः प्रश्न पत्र लीक कर उक्त प्रकार की घटना कारित की जा सकती है। अपराध गम्भीर प्रकृति का है। अभियुक्त का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने की प्रार्थना की गयी है।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को सुना तथा पत्रावली का परिशीलन किया।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध अन्य सहअभियुक्त के साथ मिलकर वर्ष 2018 में इंटरमीडिएट यू०पी०बोर्ड परीक्षा का अंग्रेजी विषय का प्रश्न पत्र लीक करके दुष्प्रचार किये जाने तथा परीक्षा की गोपनीयता को भंग किये जाने का अभियोग लगाया गया है। केस डायरी 4 के अवलोकन से विदित है कि सक्रमपाल द्वारा अपने बयान में कथन किया गया है कि दिनांक 27-02-2018 को समय 12:49 पर अभियुक्त दीपक मान द्वारा उसके मोबाईल नम्बर 7983697620 से सहअभियुक्त सुक्रमपाल के मोबाईल नम्बर पर प्रश्नपत्र भेजे जाने का कथन किया गया है। अभियुक्त दीपक मान द्वारा अपने बयान में इस प्रवेन्द्र निवासी देहरादून से प्राप्त करना बताया गया है।

पत्रावली के परिशीलन से यह भी विदित होता है कि अभियुक्त के विरूद्ध वर्ष 2018 में आरोप पत्र प्रेषित किया गया था। जिस पर दिनांक 03-08-2018 को संज्ञान लिया गया था। तब से लेकर आज तक इतने लम्बे समय उपरान्त तक अभियुक्त न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ है। प्रार्थी/अभियुक्त को धारा 41 क के नोटिस पर संबंधित थाने से छोडा गया था। यह भी उल्लेखनीय है कि पत्रावली पर अभियुक्तगण द्वारा एफ०आई०आर० एवं आरोप पत्र की नकल लेने नकल सवाल उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त यह भी उल्लेखनीय है कि आरोप पत्र से लेकर अभी तक अभियुक्त के विरूद्ध केवल सम्मन जारी किये गये हैं कोई उत्पीडनत्मक कार्यवाही नहीं की गयी है। जिससे परिलक्षित होता है कि अभियुक्त की गिरफतारी की कोई आशंका नहीं है। इस आधार पर भी अभियुक्त अग्रिम जमानत पाने का अधिकारी नहीं है।

अभियुक्त के विरूद्ध बारहवीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा का प्रश्नपत्र लीक करने का गम्भीर आरोप लगाया गया है जिससे न केवल मेधावी छात्रों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है बल्कि ऐसी घटनाओं से राज्य की शिक्षा प्रणाली पर भी प्रश्नचिन्ह लगता है। अतः मामले के तथ्यों, परिस्थितियों एवं अपराध की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी/अभियुक्त अग्रिम जमानत प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है तथा यह अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी/अभियुक्त **दीपक मान** का यह प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

दिनांकः 06.03.2026

(शबिस्ताँ आकिल)
अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश
(एस 0 सी0 एस 0 टी0 एक्ट), बागपत।